नारी की उड़ान:

बंदिशो से आज़ादी तक



नारी की उड़ान:

बंदिशो से आज़ादी तक



B. R. Gavai
Judge, Supreme Court of India
&
Executive Chairman,
National Legal Services Authority

B-Block, Ground Floor
Administrative Buildings Complex
Supreme Court of India, New Delhi-110001

प्रस्तावना

मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा बनाई गई चित्र पुस्तिका "नारी की उड़ान: बंदिशों से आज़ादी तक" का प्रकाशन हो चुका है। यह पुस्तिका प्रत्येक महिला के संघर्षों, और उन संघर्षों को दृढ़ इच्छाशक्ति से पार कर जाने की उनकी यात्रा को शक्तिशाली रूप से दर्शाती है| इस पत्रिका का हर चित्र पाठकों को जागरूक बनाता है| लैंगिक न्याय भारत के संविधान का अभिन्न हिस्सा है, और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए यह पुस्तिका महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके, उन्हें सशक्त बनाने का काम करती है|

इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य सभी आयु के लोगों को महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध करना है| सभी को यह बताना ज़रूरी है कि कैसे एक लड़की के जन्म लेते ही उसे किन-किन प्रकार के सामाजिक संघर्षों से गुजरना पड़ता है| इन संघर्षों के बारे में जान कर ही लोग संवेदनशील बन सकते हैं|

इस पुस्तिका के जरिए हम सभी को यह भी बताना चाहते हैं कि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा एक कानूनी अपराध है| महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाए गए कानून भारतीय संविधान की समता और समानता की भावना को आगे बढ़ाते हैं| हमारा देश और हमारा समाज महिला सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, और हम सभी को इस बात को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है|

इस पुस्तिका की तैयार करने पर, मैं नालसा की टीम की सराहना करता हूँ। मेरी आशा है कि यह पुस्तिका समाज में जरूरी परिवर्तन के लिए एक ज़रूरी माध्यम बनेगी, जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके|

21.11.22

(बी.आर. गवई)

Address for Communication: National Legal Services Authority, Ground Floor, Double Storey, Jaisalmer House
26, Mansingh Road, New Delhi-110011 • Website: www.nalsa.gov.in, E-mail: nalsa-dla@nic.in
Ph: 23382778, 23071450, Fax: 23382121

मैं किसी समाज की उन्नति को इस आधार पर मापता हूं कि उस समाज में स्त्रियों की प्रगति कितनी हुई है।

- डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर

महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता कोई सपना नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है जिसे हमें वास्तविकता में बदलना होगा।

- महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW)


नमस्कार, मैं तारा! सुनो मेरी ज़ुबानी,
मयूरपुर की कहानी।
दादी-पापा बोले एक ही बात,
बेटियाँ बस घर की मेहमान।
चाचा रखे कड़े विधान,
लड़कियों के सपने करें बलिदान।
मयूरपुर
पर मैं आई हूँ
बंदिशें मिटाने,
कानून की
जागरूकता बढ़ाने,
नारी को सशक्त बनाने ,
सच और बदलाव
की लौ जलाने।


पिता की परछाई में सिमटी
है मेरी माँ सुमन,
हर चोट को घूँघट
में ढकती है।
हँसी के पीछे छुपे
दर्द के अफ़साने,
आँखों में कैद हैं टूटे
हुए सपने पुराने।


बेटियाँ तो बस मेहमान हैं इस आँगन की,
पराया धन कह कदर न की जीवन की।
पहले दबाव में मेरी माँ
की कोख उजड़ गई,
मुझसे पहले कितनी बहनों
की हत्या की गयी।


कलम थामूँ तो
वो रोक देते हैं,
सपने मेरे वो
तोड़ देते हैं।
डरती हूँ कि किताबें छूट जाएँगी,
बाल विवाह की बेड़ियाँ टूट न पाएँगी।


प्रीति को मिला हौंसला अपार, उसे मिला माँ-बाप का साथ।
हर मुश्किल में वो बनी रही ख़ास, उठाई उसने छेड़खानी के ख़िलाफ़ आवाज़।
STOP
EVE TEASING


स्वचालित सेनेटरी नैपकिन
वेंडिंग मशीन
ये प्रकृति का नियम, शरीर की पहचान,
मिली जो शिक्षा, मिटा अज्ञान,
अब मासिक धर्म नहीं अपमान
अब डर को भगाएंगे,
न्याय का दीप जलाएंगे।
POCSO


वैष्णवी की आँखों में था एक सन्नाटा,
दर्द को कहने का था ना कोई रास्ता।
कितनी ऐसी कहानियाँ गुम हो गईं,
ना जाने कितनी नारियाँ समाज के डर से चुप हो गईं।


DANGER
Warning
Acid
सुप्रिया दीदी बनी एक कहानी,
जिसमें दर्द था, पर हिम्मत थी सारी।


प्रगति की राह में बॉस की अनदेखी दीवार है
हर सफलता पर सवाल, हर विरोध पर तकरार है ।
नारी को कम समझना यहाँ की परंपरा है,
वर्चस्व से दबाने की यह प्रवृति प्राचीन है
Maternity Leave Application
REJECTED


बेटी और बेटे में क्यों है भेद,
कानून ने दिए सबको समान अधिकार के संकेत।


पकौड़ा कॉर्नर
देवदर्शिनी काकी की बुढ़ापे की राह थी सुनसान, पर कानून की राह ने उनकी लौटाई मुस्कान
बुजुर्ग महिलाओं का अधिकार: पेंशन, स्वास्थ्य, और आत्मनिर्भरता

यह मेरी ज़िन्दगी का एक नया पैग़ाम है,
दर्द से डरूँ या बनूँ मैं वीरांगना समान?
माँ की तरह सहूँ, या धैर्यवान होकर
आत्मनिर्भरता का उदाहरण बन जाऊं?



संविधान से मिली पहचान, आत्मगौरव और आत्मसम्मान,
मैंने चुनी शिक्षा, मेरा भविष्य होगा प्रकाशमान।



महिलाओं की सुरक्षा हेतु कानूनी प्रावधान एवं संरक्षण उपाय

कन्या भ्रूण हत्या पर कानून

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

घरेलू हिंसा पर कानून

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

बालिका शिक्षा और बाल विवाह पर कानून

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016)
बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
विशेष विवाह अधिनियम, 1954
संरक्षण गृह अधिनियम, 1960

छेड़खानी और शोषण पर कानून

महिलाओं एवं बालिकाओं के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

महिलाओं की सुरक्षा हेतु कानूनी प्रावधान एवं संरक्षण उपाय

कार्यस्थल पर लिंग-आधारित चुनौतियाँ

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961

संपत्ति अधिकारों में समानता पर कानून

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

महिलाओं की सुरक्षा हेतु अन्य कानून

भारतीय संविधान

भारतीय न्याय संहिता, 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

व्यक्तिगत कानूनों के उचित प्रावधान

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु बनाए गए कानून

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए संचालित सामाजिक कल्याण योजनाएँ

- रोजगार एवं श्रम योजना - रोजगार आश्वासन योजना
- काम के बदले अनाज कार्यक्रम
- जवाहर रोजगार योजना
- श्रम कल्याण कोष
- मातृत्व लाभ योजना
- मिलियन वेल्स योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना
- ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
- कामकाजी महिला हॉस्टल योजना
- बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना
- महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण
- लक्ष्मी दीदी योजना – स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना।
- ड्रोन दीदी योजना
- महिला ई-हाट
- कार्यशील महिला हॉस्टल योजना
- मिशन इन्द्रधनुष
- नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन योजना
- महिला उद्यमिता योजना

महिला एवं बालिका सहायता के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

1. **महिला हेल्पलाइन – 181**
 महिलाओं के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा, शोषण और आपातकालीन सहायता के लिए।

2. **बाल हेल्पलाइन– 1098**
 बच्चों के खिलाफ शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम, और अन्य आपात स्थितियों में मदद के लिए।

3. **पुलिस आपातकालीन सहायता – 112**
 किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता के लिए।

4. **राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन – 7827 170 170**
 महिलाओं से जुड़े कानूनी, सामाजिक, और अन्य अधिकारों पर सहायता के लिए।

5. **महिला और बाल विकास मंत्रालय हेल्पलाइन – 011-23381611**
 महिला और बाल अधिकारों की रक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए।

6. **मानव तस्करी रोकथाम हेल्पलाइन – 011-233733**
 महिला और बाल तस्करी से जुड़ी शिकायतों और बचाव कार्यों के लिए।

7. **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत हेल्पलाइन – 011- 23378044**
 कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए।

8. **साइबर क्राइम हेल्पलाइन – 1930**
 महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ साइबर अपराध (छेड़छाड़, स्टॉकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी) की शिकायत के लिए।

टिप्पणियाँ

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)

बी ब्लाक, भूतल, प्रशासनिक भवन परिसर
सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली-110001

भूतल, जैसलमेर हाऊस, 26, मान सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
हमें संपर्क करें - https://nalsa.gov.in

15100
Toll-Free Helpline number

nalsa.gov.in

nalsa-dla@nic.in

Follow us on

nalsa.india.1

nalsalegalaid

NALSALegalAid

@NALSA

National Legal Services Authority